न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 57/2015

1 रामावतार पुत्र श्री कज़ोड़ जाति माली निवासी पबाना, तहसील नवलगढ़ उप तहसील मुकन्दगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभुदयाल पुत्र कजोड जाति माली, निवासी पबाना तहसील नवलगढ़ उप तहसील मुकन्दगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 कजोड पुत्र मंगला जाति माली निवासी पबाना तहसील नवलगढ़ उप तहसील मुकन्दगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 सब रजिस्ट्रार मुकन्दगढ़ (उप तहसील मुकन्दगढ़) जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दिनांक 04.05.2015 उनवानी प्रार्थना पत्र रामावतार बनाम प्रभूदयाल आदि प्रार्थना पत्र संख्या 183/2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 183/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया दावे के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पबाना कि सरहद में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 825, 834 रकबा क्रमशः 0.41 व 0.14 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर में अपीलांट के कब्जे व काश्त में दखलअंदाजी नहीं करें तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 कोई भी दस्तावेज तस्दीक नहीं करे तथा दौराने दावा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उपरोक्त दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया और प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कि गई। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 04.05.2015 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचना कि है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक होना सिद्ध है तथा जवाब प्रार्थना पत्र व बहस के अनुसार कजोड के दो पुत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 होना जाहिर है लेकिन उन्होंने बिना किसी दस्तावेज अथवा रिकार्ड के बाहमी बंटवारा होना मानकर और विक्रय के लिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कि सहमति मानकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है जबकि यह रिकार्ड से भली भांति प्रमाणित है कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कजोड़ पुत्र मंगला के नाम से दर्ज है जिसमें अपीलान्ट अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि विक्रय हेतु सहमति देने अथवा नहीं देने का कानूनी कोई औचित्य नही है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मौखिक कथनों का विश्वास कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने एक तरफ तो अपने निर्णय से पैतृक भूमि होना अंकित किया है और दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि विक्रय करने के तथ्य को सही मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जब भूमि पैतृक होना साबित है तो ऐसी स्थिति में बिना विधिवत विभाजन करवाये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि विक्रय करने का अधिकार ही नहीं था इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किया गया विक्रय शून्य एवं अवैध है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में फाईन्डिग दी है कि अपीलान्ट ने नोटिस में छूट हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जो कि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जबकि कानूनन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

इस प्रकार कि आपत्ति करने का अधिकार केवल सम्बन्धित पक्षकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उप पंजीयक मुकन्दगढ़ को था जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा इस प्रकार की आपत्ति का निस्तारण मूल वाद में तनकी बनाकर ही किया जा सकता है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में केवल न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू बनाकर ही प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार के कोई बिन्दू कायम नहीं किये केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 कि बहस का आधार बनाकर बिना किसी फाईन्डिंग के अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम पबाना संवत 2021 से 2024 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 7 बीघा 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 430 रकबा 2 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 432 रकबा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 434 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा, खसरा नम्बर 438 रकबा 11 बिश्वा किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी मंगला पुत्र पेमा सुरजा पुत्र रेखा जाति माली सा.देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम पबाना तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत खसरा नम्बर 432, 434 मी से नया खसरा नम्बर 825 रकबा 0.41 हैक्टेयर तथा 434 मी से नया खसरा नम्बर 834 रकबा 0.14 हैक्टेयर बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी ग्राम पबाना संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 825/0.41, 834/0.14 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर की खातेदारी कजोड पुत्र मंगला जाति माली सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त रिकार्ड से वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है। जवाब प्रार्थना पत्र व बहस तथ्यों के अनुसार कजोड के दो पुत्र तथा कजोड़ के हिस्से की भूमि का दोनों पुत्रों व पिता का बाहमी बंटवारा पूर्व में होना तथा आवेदक व अनावेदक के आई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हिस्से की भूमि पिता कजोड़ पुत्र मंगला के नाम होने के कारण भूमि को विक्रय की गई जो दोनों की सहमति से विक्रय किया गया है तथा विक्रय पत्रों पर आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 के हस्ताक्षर करवाये गये है जो सहमति के रूप में है। इस प्रकार के तथ्यों से साबित है कि कजोड़ ने अपने बाहमी बंटवारे में आये हिस्से की भूमि को विक्रय किया गया है एवं आवेदक द्वारा न तो नोटिस दिया गया न ही आवेदक ने नोटिस में छूट प्राप्त करने हेतु अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का प्रार्थना पत्र खारीज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी ग्राम पबाना संवत 2021 से 2024 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 7 बीघा 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 430 रकबा 2 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 432 रकबा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 434 रकबा 8 बीघा 10 बिश्वा, खसरा नम्बर 438 रकबा 11 बिश्वा किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी मंगला पुत्र पेमा सुरजा पुत्र रेखा जाति माली सा.देह हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम पबाना तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार गत खसरा नम्बर 432, 434 मी से नया खसरा नम्बर 825 रकबा 0.41 हैक्टेयर तथा 434 मी से नया खसरा नम्बर 834 रकबा 0.14 हैक्टेयर बनना प्रमाणित है। नकल जमाबंदी ग्राम पबाना संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 825/0.41, 834/0.14 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर की खातेदारी कजोड पुत्र मंगला जाति माली सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त रिकार्ड से वादग्रस्त भूमि पैत्रिक है। जवाब प्रार्थना पत्र व बहस तथ्यों के अनुसार कजोड के दो पुत्र तथा कजोड़ के हिस्से की भूमि का दोनों पुत्रों व पिता का बाहमी बंटवारा पूर्व में होना तथा आवेदक व अनावेदक के आई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्से की भूमि पिता कजोड़ पुत्र मंगला के नाम होने के कारण भूमि को विक्रय की गई जो दोनों की सहमति से विक्रय किया गया है तथा विक्रय पत्रों पर आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 के हस्ताक्षर करवाये गये है जो सहमति के रूप में है। इस प्रकार के तथ्यों से साबित है कि कजोड़ ने अपने बाहमी बंटवारे में आये हिस्से की भूमि को विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का प्रार्थना पत्र खारीज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)